न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
21 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	16.03.2020	06.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री रामविलास जैन जाति महाजन निवासी पवनसुख मार्ग अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रामविलास चन्द्रप्रकाश जैन सदर बाजार अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स रामविलास चन्द्रप्रकाश जैन सदर बाजार अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक
3–श्रीमति कान्ता जैन पत्नि श्री लोकेश कुमार जैन निवासी वार्ड नं. 15, उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री बालाजी उद्योग ग्राम खेडली पोस्ट बिलोता तह. उनियारा जिला टोंक
4–मैसर्स श्री बालाजी उद्योग ग्राम खेडली पोस्ट बिलोता तह. उनियारा जिला टोंक
5–श्री हेमन्त सक्सैना पुत्र श्री परमात्मा सहाय सक्सैना निवासी 3–केए–7, विज्ञान नगर कोटा नॉमिनी मैसर्स ऐडवान्टेज ऑयल प्रा. लि. एनएच–52, रामगंज बालाजी बून्दी राज.
6–मैसर्स ऐडवान्टेज ऑयल प्रा. लि. एनएच–52, रामगंज बालाजी बून्दी राज.

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री राजकुमार माथुर एड.।

दिनांक 06.07.2023

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2019 को समय 02:30 पी.एम पर मैसर्स रामविलास चन्द्रप्रकाश जैन सदर बाजार अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री रामविलास जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एमएल पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चन्द्रप्रकाश जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एबीएस–050719 ए एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2019 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 एमएल के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** के 500–500 एमएल के 4 मूल पैक के एक–एक नग वाले चार भाग भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2274 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2274 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री रामविलास जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री बालाजी उद्योग ग्राम खेडली पोस्ट बिलोता तह. उनियारा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री बालाजी उद्योग ग्राम खेडली पोस्ट बिलोता तह. उनियारा जिला टोंक से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स ऐडवान्टेज ऑयल प्रा. लि. एनएच–52, रामगंज बालाजी बून्दी राज. का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2335 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2267/एक्ट/2019/1813 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री राजकुमार माथुर उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (कार्निवल गोल्ड ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला टोंक